माननीय महोदय,

माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक 03.05.2023 के अनुपालन में गठित नीलामी समिति के सदस्यों की बैठक आज दिनांक 04.08.2023 को मेरे विश्राम कक्ष में दोपहर 01:30 बजे आहूत की गयी। सदस्यगण श्री दिनेश कुमार चौरसिया, अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0 4 मऊ एवं श्री शैलेश कुमार सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ उपस्थित आए। बैठक में मऊ न्यायालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर रखे टूटे/जीर्ण-शीर्ण, लकडी की कुर्सियॉ, मेज, लोहे की आलमारी, कूलर आदि निष्प्रयोज्य सामाग्रियों/उपकरणों के लिए की जाने वाली नीलामी की प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया।

नीलामी समिति के सदस्यगण द्वारा नीलामी की तिथि सर्वसम्मति से दिनांक 19.08.2023 तय किया गया व नीलामी की शर्तें आदि तय की गयी। नीलामी की शर्तें अलग प्रपत्र पर माननीय महोदय के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

(शैलेश कुमार सिंह)	(दिनेश कुमार चौरसिया)	(अशोक कुमार)
सदस्य, नीलामी समिति/	सदस्य, नीलामी समिति/	अध्यक्ष, नीलामी समिति/
न्यायिक मजिस्ट्रेट,	अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं04	अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0 1
जनपद न्यायालय,मऊ।	जनपद न्यायालय,मऊ।	जनपद न्यायालय,मऊ।

Distt.Judge
Mau

जनपद न्यायालय- मऊ।
नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय मऊ के परिसर में विभिन्न स्थानों पर रखे टूटे/जीर्ण-शीर्ण, लकडी की कुर्सियॉ, मेज, लोहे की आलमारी, कूलर आदि निष्प्रयोज्य सामाग्रियों/उपकरणों की नीलामी दिनांक 19.08.2023 को समय सायं 04:00 बजे जनपद न्यायालय मऊ के साभागार में नीलामी समिति के द्वारा की जायेगी।

नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र तथा नियमों एवं शर्तो की जानकारी जनपद न्यायालय मऊ के नजारत कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। विस्तृत विवरण हेतु नोटिस बोर्ड एवं न्यायालय के वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते है।

04/08/23
(अशोक कुमार)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0 1
जनपद न्यायालय,मऊ।

जनपद न्यायालय- मऊ।

नीलामी आदेश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय मऊ के परिसर में विभिन्न स्थानों पर रखे टूटे/जीर्ण-शीर्ण, लकडी की कुर्सियॉ, मेज, लोहे की आलमारी, कूलर आदि निष्प्रयोज्य सामाग्रियों/उपकरणों की नीलामी दिनांक 19.08.2023 को समय सायं 04:00 बजे जनपद न्यायालय मऊ के साभागार में नीलामी समिति के द्वारा की जायेगी।

नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नियमों एवं शर्तो की जानकारी जनपद न्यायालय मऊ के नोटिस बोर्ड, नजारत कार्यालय अथवा न्यायालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

सभी प्रकार से भरें हुए आवेदन पत्र मय धरोहर धनराशि के दिनांक 18.08.2023 तक नजारत कार्यालय में साय 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करा दी जाये। इसके पश्चात् कोई आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा।

किसी भी बोली को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा।

इस नोटिस को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए एवं इसकी सूचना न्यायालय एन.आई.सी एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाए।

04/08/23

(अशोक कुमार)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0 1
जनपद न्यायालय,मऊ।

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1- प्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2- प्रति कम्प्यूटर अनुभाग को न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3- प्रति राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मऊ के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4- प्रति जिलाधिकारी, मऊ के नोटिस बोर्ड पर लगाये जाने हेतु।
5- प्रति जिला सूचना अधिकारी, मऊ को प्रसार किये जाने हेतु।

04/08/23

(अशोक कुमार)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0 1
जनपद न्यायालय,मऊ।

जनपद न्यायालय- मऊ।

नीलामी के नियम व शर्ते

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय मऊ के परिसर में विभिन्न स्थानों पर रखे टूटे/जीर्ण-शीर्ण, लकडी की कुर्सियॉ, मेज, लोहे की आलमारी, कूलर आदि निष्प्रयोज्य सामाग्रियों/उपकरणों की नीलामी दिनांक 19.08.2023 को समय सायं 04:00 बजे जनपद न्यायालय मऊ के साभागार में नीलामी समिति के द्वारा की जायेगी। इस नीलामी की प्रमुख शर्ते निम्नलिखित है-

नीलामी होने वाली सामग्रियों का विवरणः-

लकडी की कुर्सियॉ, मेज, लोहे की आलमारी, लोहे की कुर्सी, बेन्च, रैक, डायस, बुक सेल्फ, लोहे का बॉक्स, सोफा एवं फर्नीचर उपयोग में आने वाली अन्य सामाग्री जिसकी कुल नीलामी न्यूनतम धनराशि 26770/- (छब्बीस हजार सात सौ सत्तर रूपये मात्र है। अन्य उपकरण जैसे कूलर, फेन, टयूबलाईट, कूलर स्टैण्ड, स्र्टार, इलेक्ट्रीक बोर्ड व अग्निशमन यन्त्र की धनराशि 36.50 प्रति किलोग्राम रूपये जी0एस0टी0 अतिरिक्त तथा कास्ट ऑयरन की दर 34.50 प्रति किलोग्राम।

1- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति कुल न्यूनतम मूल्य का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि के रूप में जमा करने के पश्चात् ही नीलामी में भाग ले सकते है। नीलामी प्राप्त न होने पर जमानत धनराशि वापस की जाएगी।

2- सबसे उॅची बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी स्वीकृत की जाएगी।

3- नीलामी प्राप्त करता व्यक्ति को नीलामी की पूर्ण धनराशि तत्काल जमा करना होगा।

4- नीलामी प्राप्त करता को एक सप्ताह के अन्दर स्वयं के खर्चे पर नीलाम हुई सामग्रियों को परिसर से बाहर ले जाना होगा।

5- किसी भी दशा में नीलामी राशि न्यूनतम धनराशि से कम स्वीकार नही की जाएगी।

6- नीलामी की अन्तिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश मउ को होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषितः-

1- नाजिर कलेक्ट्रेट, मऊ।

2- कार्यालय अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन मऊ।

3- कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, मऊ।

4- कार्यालय जनपद न्यायालय- मऊ

5- जनपद न्यायालय मऊ की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम ऑफिसर को प्रेषित।

6- माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के साइट पर अपलोड करने हेतु Osd Computer को प्रेषित।

Shailesh Singh 04/08/2023   4/8/23   04/08/23

(शैलेश कुमार सिंह)	(दिनेश कुमार चौरसिया)	(अशोक कुमार)
सदस्य, नीलामी समिति/	सदस्य, नीलामी समिति/	अध्यक्ष, नीलामी समिति/
न्यायिक मजिस्ट्रेट,	अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं04	अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0 1
जनपद न्यायालय,मऊ।	जनपद न्यायालय,मऊ।	जनपद न्यायालय,मऊ।

Seen

4/8/23

Distt.Judge

Mau